पत्रांक–योजना बजट–35/2013 /प०व०

बिहार सरकार

पर्यावरण एवं वन विभाग

प्रेषक,

रत्नेश झा,
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक–........./10/2016

**विषय :–** वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2017–18 तक वन सर्वेक्षण संस्थान, देहरादून से बिहार राज्य के हरित आवरण क्षेत्रफल का सही आकलन कराने हेतु अवकृष्ट वनों के पुर्नवास योजनान्तर्गत कुल ₹ 40.00 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसके तहत वित्तीय वर्ष 2016–17 में ₹ 32.00 लाख मात्र व्यय की स्वीकृति।

**महाशय,**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक बिहार राज्य के हरित आवरण क्षेत्रफल का सही माप हेतु आधुनिक तकनीकी के इस्तेमाल से इसकी गणना कराये जाने के उद्देश्य से देहरादून स्थित वन सर्वेक्षण संस्थान का चयन करते हुए उससे नवीनतम डाटा का उपयोग कर इस कार्य को एक वर्ष के अन्दर पूर्ण किये जाने की औपचारिक समझौता के तहत वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2017–18 तक वन सर्वेक्षण संस्थान, देहरादून से बिहार राज्य के हरित आवरण क्षेत्रफल का सही आकलन कराने हेतु अवकृष्ट वनों के पुर्नवास योजनान्तर्गत कुल ₹ 40.00 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसके तहत वित्तीय वर्ष 2016–17 में ₹ 32.00 लाख मात्र व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस राशि की निकासी निम्नांकित मुख्य शीर्ष/उप शीर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध उपबंधित राशि से की जायेगी :–

A. मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01–वानिकी, लघु शीर्ष–101–वन संरक्षण विकास तथा सम्पोषण, माँग संख्या–19, उप शीर्ष–01 09–अवकृष्ट वनों का पुर्नवास, विपत्र कोड–P2406011010109, राज्य योजना स्कीम कोड–फॉर 5051 के विषय शीर्ष–02 01–मजदूरी, 21 01–सामग्री एवं पूर्त्तियाँ एवं 27 01–लघु कार्य।

B. मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01–वानिकी, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या–19, उप शीर्ष– 01 01–अवकृष्ट वनों का पुर्नवास, विपत्र कोड–P2406017890101, राज्य योजना स्कीम कोड–फॉर–5051 के विषय शीर्ष–02 01–मजदूरी।

C. मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01–वानिकी, लघु शीर्ष–796–जनजातिय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या–19, उप शीर्ष–01 03–अवकृष्ट वनों का पुर्नवास, विपत्र कोड–P2406017960103 के विषय शीर्ष– 02 01–मजदूरी।

3. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वन संरक्षक (मुख्यालय) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी उनके संबद्ध जिला कोषागार/उप कोषागार से किया जायेगा।

4. प्रस्ताव में संचिका के पृष्ठ–56/टि० पर दिनांक–06.10.2016 को प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना की स्वीकृति एवं प्रारूप में संचिका के पृष्ठ–57/टि० पर दिनांक–07.10.2016 को आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

5. इस योजना के कार्यान्वयन होने समय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त संस्थान को राशि का भुगतान संलग्न परिशिष्ट–1 के अनुरूप ही किया जायेगा।

6. इस राशि का आवंटन निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. इस योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की अनियमितता होने पर इस योजना के स्थल पर क्रियान्वयन/निरीक्षण/पर्यवेक्षण करने वाले सभी पदाधिकारियों की जिम्मेवारी होगी।

8. इस योजना में दिये गये प्रथम अग्रिम से कार्य योजना की गुणवत्ता एवं भौतिक प्रगति से पूर्णतः संतुष्ट होने तथा इसकी प्रविष्टि मापी पुस्तिका में हो जाने तथा क्रियान्वयन संबंधी प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही सक्षम पदाधिकारी द्वारा अग्रिम की अगली किस्त निर्गत की जायेगी तथा स्वीकृत राशि के विरूद्ध कराये गये कार्यों का स्वयं संतुष्टि एवं स्थल जाँच संबंधी अभिलेखों को कार्यालय में संधारित किया जायेगा तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

9. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना द्वारा क्रियान्वित कार्यों का समय–समय पर पर्यवेक्षण किया जायेगा एवं योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण कराने का दायित्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना की होगी।

**अनुलग्नक**– यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(रत्नेश झा)
सरकार के उप सचिव

**ज्ञापांक–योजना बजट–35/2013 5083/प०व० पटना–15, दिनांक–13/10/2016**

**प्रतिलिपि** – (सानुलग्नक) वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/आई०टी०(मैनेजर)/ बजट शाखा (दो प्रतियों में), पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Jha 13/10/16
(रत्नेश झा)
सरकार के उप सचिव

परिशिष्ट–1

II

## OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF CONSERVATOR OF FOREST, BIHAR

### Budget Estimate

| Sl.No. | Activity/Particulars | Year 2016-17 | Year 2017-18 | Total Amount (in Rs.) | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Image Interpretation/Classification of forest cover using IRS P6 LISS IV MX scence (50 full scenes @ Rs. 12000/- per scenes) Latest Imagery. | 600000.00 | 0.00 | 600000.00 | Cost of LISS-IV Mx Satellite date |
| 2 | Ground Truthing | 440000.00 | 0.00 | 440000.00 | Ground truthing of forest and tree cover areas, etc. |
| 3 | Manpower<br>Salary of 6 person for 12 month @ (Rs. 25000 + 20% HRA) Rs. 30000/- | 1620000.00 | 540000.00 | 2160000.00 | Technical Associates on contract for project duration |
| 4 | Report writing/ Map printing | 140000.00 | 260000.00 | 400000.00 | Printing of FCM maps on the scale of 1:25,000 and publishing the report. |
| 5 | Misc. Expenditure | 400000.00 | 0.00 | 400000.00 | This includes Training/expert fees. |
| | **Total** | **3200000.00** | **800000.00** | **4000000.00** | |

**Rs. Forty lakhs only.**

**Note:-**

(1) प्रथम किश्त– 40 प्रतिशत– रू. 1600000.00 (रूपये सोलह लाख) कार्य प्रारंभ में।

(2) द्वितीय किश्त– 40 प्रतिशत– रू. 1600000.00 (रूपये सोलह लाख) प्रथम किश्त का 60 प्रतिशत व्यय होने पर।

(3) तृतीय किश्त– 20 प्रतिशत– रू. 800000.00 (रूपये आठ लाख) ड्राफ्ट अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर भुगतेय तथा पूर्व भुगतान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं प्रगति प्रतिवेदन समर्पित करने के उपरांत।

13/10/16

मुख्य वन संरक्षक (आई.टी.) द्वारा दिए गए तकनीकी स्वीकृति के आधार पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4/9/16

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)
बिहार, पटना।